

केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX & CUSTOMS
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विशाखापट्टणम क्षेत्र
CENTRAL GST VISAKHAPATNAM ZONE
जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम
GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530 035

कार्यालय आदेश संख्या 09/2021

दिनांक: 17-05-2021

अधीक्षक, डॉ. सत्येंद्र वीर विक्रम को मुख्य आयुक्त कार्यालय, विशाखापत्तनम क्षेत्र आबंटन एवं श्री ए रमण राव, अवर श्रेणी लिपिक की मृत्यु के परिणामस्वरूप, कार्यालय आदेश 19/2020 दिनांक 19.10.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित कार्य आबंटन का आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

क्र.सं.	अनुभाग का नाम	अनुभाग प्रभारी	आबंटित कार्य
1.	प्रणाली एवं सीपीसी	जे. प्रवीण कुमार, अधीक्षक बी. गनेश्वर राव, निरीक्षक (अतिरिक्त प्रभार)	जीएसटी क्षेत्रीय आयुक्तालय प्रशासन केन्द्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (जीएसटी) समस्त जीएसटी करदाताओं एवं कर व्यवसायी के पंजीकरण/निरस्तीकरण/माइग्रेसन आदि संबंधी कार्य जीएसटी बैकएंड एप्लिकेशन (एआईओ) और जीएसटी सिस्टम से संबंधित सभी कार्य - एआईओ संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के पहलू सभी संबंधित रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन
2.	तकनीकी - I	डॉ. सत्येंद्र वीर विक्रम अधीक्षक बी. गनेश्वर राव, निरीक्षक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर से संबंधित विरासती तकनीकी मामले। सभी एमपीआर संबंधित कार्य (विरासत या अन्यथा) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के तहत धनवापसी, छूट, सामुद्रिक आयुक्त से संबंधित सभी मामले विरासत मामलों और जीएसटी के तहत प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्रों और अन्य सांख्यिकीय रिपोर्ट, अनंतिम मूल्यांकन, न्यायनिर्णयन, कॉल बुक मामलों आदि की निगरानी। तीसरे पक्ष से संबंधित सत्यापन की निगरानी (सेवाकर सत्यापन के लिए आईटी डेटा) क्षेत्रीय वेबसाइट/ट्विटर/ मीडिया प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य सभी संबंधित रिपोर्ट और रिटर्न
3.	सीआरयू	प्रशांत, एमटीएस	सीसी कार्यालय के संबंध में डाक, आईसी/ओसी के डायरीकरण से संबंधित कार्य। ई-ऑफिस कार्यालय आदेश संख्या

			16/2020 दिनांक 10-8-2020 के तहत सौंपे गए सभी कार्य
--	--	--	--

2. अधीक्षक सीएटी/न्यायालय प्रकोष्ठ द्वारा देखे गए सभी मामलों के संबंध में अगले आदेश तक, श्री अरविंद दास, सहायक आयुक्त (मु.आ.का.) को रिपोर्ट करेंगे ।
3. इसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर और सीमा शुल्क, वैजाग जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फाइल जीसीसीओ-II/27/2/2021) से जारी]

हस्ता.
(वाई. भास्कर राव)
संयुक्त आयुक्त

सेवा में

संबंधित अधि कारियों को ।

प्रतिलिपि :

- . मुख्य आयुक्त कार्यालय, वैजाग जोन के सभी अनुभाग प्रमुख।
- . प्रधान मुख्य आयुक्त के वरिष्ठ वैयक्तिक सचिव ।